

तारीख हुक्म



सत्यमेव जयते

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22.02.2019

प्रार्थी पदमसिंह पुत्र जसवंतसिंह, आयु-60साल, जाति-राजपूत, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण रेलवे विभाग जरिये आर.एम. जोधपुर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थना-पत्र पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, विवादित आराजियात् वाकै सरहद मौजा बालिया के खसरा नम्बर 425 वादी की खातेदारी भूमि में बिना विधिक प्राधिकार के अप्रार्थीगण दखल अन्दाजी नहीं करे। तहसीलदार डीडवाना विवादित आराजियात् की सीमांकन पत्थरगढी कार्यवाही कर उभयपक्षकारान् को अवगत करावे।

मिसल फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)